

अपशषिट टायर प्रबंधन हेतु दशिया-नरिदेश

स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत में अपशषिट टायर प्रबंधन को मज़बूत करने के उद्देश्य से नए **पर्यावरण मुआवज़ा (Environmental Compensation-EC)** दशिया-नरिदेशों को मंजूरी दी है।

- नये दशिया-नरिदेशों के प्रमुख पहलू: जो नरिमाता अपने वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (Extended Producer Responsibility-EPR) लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएँगे, उन्हें प्रति किलोग्राम अपशषिट टायर पर 8.40 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
 - हानिकारक और अन्य अपशषिट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) संशोधन नियम, 2022 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- EPR अनुपालन: टायर नरिमाताओं और आयातकों को उत्तरोत्तर अपनी पुनर्रचकरण (रीसाइक्लिंग) ज़िम्मेदारियों में वृद्धि करनी चाहिये। उन्हें वर्ष 2022-23 में वर्ष 2020-21 में किये गए उत्पादन/आयात के 35% से शुरू करते हुए, वर्ष 2023-24 में 70% तथा वर्ष 2024-25 तक 100% तक पुनर्रचकरण का उत्तरदायतिव पूरा करना होगा।
 - नई इकाइयों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के तीसरे वर्ष में 100% उत्तरदायतिव का अनुपालन करना होगा।
 - अपशषिट टायर आयातकों को पछिले वर्ष आयात किये गए टायरों का 100% प्रबंधन करना होगा। पायरोलिसिस तेल या चार (char) उत्पादन हेतु आयात स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।
- अपशषिट टायरों के पुनर्रचकरण का उद्देश्य लैंडफिल के उपयोग को कम करना तथा टायरों को बहुमूल्य संसाधनों जैसे- पुनः प्राप्त रबर (reclaimed rubber), क्रम्ब रबर (crumb rubber) और पुनः प्राप्त कार्बन ब्लैक (recovered carbon black) में परिवर्तित करना है।
- EPR, उत्पादक की अपने उत्पाद के प्रभावों के प्रति पर्यावरणीय उत्तरदायतिव पर ध्यान केंद्रित करता है।

और पढ़ें: [अपशषिट प्रबंधन पहल](#)